

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या -11/2021 /357 /78-2-2021/254एलसी/2019
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च,2021
कार्यालय- ज्ञाप

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020/ 254एलसी/2019 दिनांक 28-01-2021 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचित की गयी है।

2- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचना निर्गत होने से 05 वर्षों तक अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति / संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।

3- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के प्रस्तर 5.3 में व्यवस्था है कि डाटा सेन्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" स्थापित की जायेगी। समिति का अधिकार-पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर निवेशकों से सम्बन्धित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अन्तर्विभागीय सामन्जस्य से सम्बन्धित होगा। रू0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएँ सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होगी। अतः उक्त व्यवस्था के अधीन सम्ययक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत सशक्त समिति का गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, सिंचाई विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम एवं सेवायोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य संयोजक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

4- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी / नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठकें आयोजित कराने हेतु बैठक के पूर्व वॉछित सूचनायें तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे आईटी एवं इले0 विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के सदस्यगण ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अधिशासी निदेशक, इनवेन्ट यूपी, 12-सी मॉल एवेन्यू लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग लखनऊ ।
7. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव